



Neutral Citation No. - 2026:AHC:5769

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट - ए संख्या - 81 वर्ष 2026

जंग बहादुर

.....याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता	:	अजय सिंह पटेल
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता	:	मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अजय सिंह पटेल और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गया प्रसाद सिंह को सुना गया।
2. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि वह संविदा कर्मचारी है, हालांकि वह कंप्यूटर ऑपरेटर/जूनियर असिस्टेंट के पद पर कार्यरत था, लेकिन उसे न्यूनतम वेतनमान नहीं दिया गया है जो उसे **पंजाब राज्य बनाम जगजीत सिंह (2017) 1 एससीसी 148** और **शाह समीर भरतभाई और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य; 2025 आईएनसी 1026** में निर्धारित कानून के अनुसार दिया जाना चाहिए था।
3. वर्तमान याचिका में प्रार्थना की गई है कि प्रतिवादियों को दावे पर विचार करने का निर्देश दिया जाए।
4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के दावे का प्रथम अवसर पर तीसरे प्रतिवादी, कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण अभियांत्रिकी विभाग, ब्लॉक (प्रखंड)- चित्रकूट, जिला चित्रकूट द्वारा निस्तारण किया जाना आवश्यक है।
5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को इस प्रकार की प्रस्तुति पर कोई आपत्ति नहीं है और वे इसे सहर्ष स्वीकार करते हैं।

6. दोनों पक्षों की दलीलों और उनके द्वारा लिए गए रुख पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता प्रदान करते हुए किया जा रहा है कि वह रिट याचिका

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



की स्व-सत्यापित प्रति के साथ एक विस्तृत अभ्यावेदन तीसरे प्रतिवादी के समक्ष प्रस्तुत करे, जो 22.01.2026 तक इसे प्राप्त होने पर, याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय, आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो माह के भीतर कानून के अनुसार करेगा। यदि तीसरे प्रतिवादी का मत है कि मामले का निर्णय किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाना है, तो संबंधित दस्तावेज उन्हें भेज दिए जाएंगे।

7. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि याचिका पर प्रतिवादियों से कोई प्रतिक्रिया मांगे बिना ही निर्णय लिया गया है। अतः, इस आदेश को पारित करने का अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता कि इस न्यायालय ने मामले के गुण-दोषों पर विचार किया है।

8. उपरोक्त अवलोकन के साथ, रिट याचिका का **निस्तारण** किया जाता है।

9 जनवरी, 2026

ए. प्रजापति

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)